न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या —67 / 2024 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2024 / 195

1. मन्नी बाई उर्फ मनभरी बाई पुत्री गणपत पत्नी किशनलाल निवासी जैन मंदिर के पास, बडगांव जिला कोटा
2. रामभरोसी पुत्री गणपत पत्नी मोहनलाल निवासी जी—246, बाबरा पाडा चित्तौडा का मंदिर श्रीपुरा कोटा
3. भूली बाई पुत्री श्री गणपत पत्नी दुर्गालाल निवासी मकान नम्बर—5, वर्धमान कॉलोनी नान्ता शम्भूपुरा कोटा
4. ललिता पत्नी श्री श्यामा निवासी मकान नम्बर 254, लाल बुर्ज भैरू गुदरी पाटनपोल कोटा
5. सुगना पत्नी श्री बंटी निवासी मकान नम्बर 252, गंधी जी की पुल पाटनपोल कोटा
6. ताराचंद पुत्र मांगीलाल निवासी गोपालपुरा कोटा राज0

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. चन्द्रभागा पत्नी देवलाल निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. कमला पुत्री गणपतलाल निवासी ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 3.12.2009 प्रकरण संख्या 15 / 2009 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा इन्तकाल संख्या 620 दिनांक 15.12.2009

उस्थिति
1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विनीत अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2

निर्णय

दिनांक—15.04.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा में किता—15 खसरा की रकबा 1.64 हे0 भूमि गणपतजी के अन्य सह खातेदारान के साथ दर्ज रेकार्ड थी । उक्त भूमि में गणपत जी का 1/3 हिस्सा निहित था, खातेदार गणपत लाल दिनांक 9.12.1997 में फोत होने पर गणपत जी द्वारा चन्द्रभागा रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष में वसीयत की जाने से वसीयत के आधार पर आदेश दिनांक 3.12.2009 पारित किया जिस पर मुताबिक वसीयत आदेश के तहसीलदार लाडपुरा ने नामान्तरकरण संख्या 620 दिनांक 15.12.2009 को रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया ।
2. वकील अपीलान्ट ने तहसीलदार लाडपुरा के वसीयत के आदेश दिनांक 3.12.2009 के मुताबिक स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 620 दिनांक 15.12.2009 की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 6.11.2024 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि ग्राम नान्ता में कुल खसरे 15 की रकबा 1.64 हे0 स्थित रही है जिसमें गणपत पुत्र रामबक्श जी का 1/3 हक हिस्सा निहित व दर्ज राजस्व रिकार्ड रहा है । गणपत जी का देहावसान दिनांक 9.12.1997 में हो गया है और उनके देहावसान के पश्चात गणपत जी के प्रथम श्रेणी के वारिस व उत्तराधिकारी उनकी पांच पुत्रीयां श्रीमती लाली बाई एवं अपीलांट कम 1,2 व 3 मन्नी उर्फ मनभरी, रामभरोसी, भूली बाई तथा

रेस्पोडेन्ट कम 2 कमला बाई तथा उनकी बेवा श्रीमती छोगी बाई को प्राप्त हुई है । अपीलांट कम 1,2 व 3 की माता छोगी बाई का देहावसान दिनांक 24.6.2006 को हो चुका है, इस प्रकार गणपत जी की उक्त हिस्सा आराजी उनके वारिस व उत्तराधिकारी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट कम 2 को प्राप्त हुई है किन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अपने पति देवलाल के साथ मिली भगत करते हुये गणपत जी की एक मिथ्या व अन रजिस्टर्ड वसीयत तैयार कर गणपत जी की मृत्यु के लगभग 13 वर्ष पश्चात वर्ष 2009 में तहसीलदार लाडपुरा के यहां गुपचुप रूप से अपीलान्ट को जानकारी दिये बगैर उक्त आराजी का इंतकाल उक्त मिथ्या वसीयत के आधार पर अपने नाम तस्दीक करने हेतु प्रस्तुत किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा ने गणपत जी के प्राकृतिक वारिस व उत्तराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 को कोई भी नोटिस जारी नहीं किया और ना ही उन्हें सूचना व सुनवाई का अवसर दिया और फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा रूप से अपीलान्ट के पिता गणपत जी की 1/3 हिस्सा आराजी का इंतकाल गलत व गैर कानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में तस्दीक किये जाने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3.12.2009 पारित कर दिया और उक्त निर्णय के आधार पर रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में उक्त आराजी का इंतकाल संख्या 620 भी दिनांक 16.12. 2009 को तस्दीक कर दिया । जेर अपील न्याय व पत्रावली में विधी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री विनीत अग्रवाल का वकालतनामा पेश हुआ। वकील उभयपक्षाक उपस्थित । वकील रेस्पोडेन्ट ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । प्रस्तुत अपील में वकील रेस्पोडेन्ट ने मियाद का बिन्दु तय करने का निवेदन किया, दिनांक 24.02.2026 को वकील उभयपक्ष की मियाद के बिन्दु पर बहस सुनी गई तथा अन्तिम बहस हेतु पत्रावली नियत की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी, वकील रेस्पोडेन्ट ने पुनः मियाद के बिन्दु पर ही बहस प्रस्तुत की गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट नं0 2 मृतक खातेदार गणपत जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि गणपत जी के प्राकृतिक वारिस व उत्तराधिकारी उनकी पुत्रीयां अपीलांट कम 1 लगायत 3 व रेस्पो0 कम 2 तथा अपीलांट कम 4 लगायत 6 मौजूद है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर इंतकाल तस्दीक किये जाने हेतु निर्णय पारित किये जाने से पूर्व गणपत जी के वारिस व उत्तराधिकारी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट कम 2 को नोटिस जारी किये बिना उन्हें सूचना व सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना एक तरफा रूप से उक्त निर्णय जेर अपील पारित कर दिया जो पूर्णतया गलत व गैर कानूनी अवैधानिक व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त निर्णय जेर अपील एक तरफा रूप से अपीलान्ट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जिसकी अपीलान्ट को पूर्व में कोई भी जानकारी नहीं रही है । अपीलान्ट को उक्त निर्णय जेर अपील की जानकारी अभी हाल ही में रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अपीलान्ट के कब्जोकाश्त में दखलंदाजी करने जिस पर अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर उक्त निर्णय व उस पर आधारित प्रश्नगत इंतकाल की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रश्नगत इंतकाल की नकल हेतु दिनांक 17.10.2024 को आवेदन किया जिस पर नकल दिनांक 18.10. 2024 को प्राप्त हुई जिसके पश्चात अपीलान्ट द्वारा तुरन्त प्रभाव से रूपयों पैसो का इंतजाम कर सम्यक तत्परता से यह अपील प्रस्तुत की है । जो सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक से नकल मिलने के दिन गुजरा करने पर अवधि मध्य पेश है । इसके अलावा निर्णय जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से पारित किया गया है तथा प्रस्तुत अपील में गुणावगुण का बिन्दु निहित होने से अपील को केवल मियाद के बिन्दु के आधार पर अस्वीकार किया जाना न्यायहित में नहीं है । विधि अनुसार जहां गुणावगुण का बिन्दु निहित हो वहां अपील प्रस्तुत करने में यदि विलम्ब भी हुआ है तो वह वह मायने नहीं रखता है, अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना

चाहिए । अतः लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना फरमावें ।

वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में मियाद के बिन्दु पर निम्न न्यायिक निर्णय पेश किये है–

- आर आर टी 2024(2) गोविन्द बनाम महेन्द्र कुमार शर्मा
- आर बी जे (13)2006 अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 बनाम प्रताप एवं अन्य
- आर आर टी 2024(1) sheo Raj singh (D) V/s Union of India
- 2008 (sup)AIR Suprem court 1040] Hanmavva V/s Pettiya
- आर आर टी 2024(1) नीतू बंशल बनाम मोहनदास
- आर आर टी 2011(1) बृज मोहन बनाम महावीर प्रसाद

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब एवं अपनी बहस में कथन किया है कि प्रस्तुत अपील से पहले एक वाद विवादित आराजी बाबत न्यायालय एसडीओ कोटा में दिनांक 4.10.2024 को प्रस्तुत किया है उसमें वाद कारण दिनांक 6.5.2024 को उत्पन्न होना तथा इन्तकाल नं0 620 दिनांक 15.12.2009 का हवाला दिया गया है, इसके स्पष्ट है कि इन्तकाल नं0 620 की अपीलान्ट को पहले से ही जानकारी थी । अपीलान्ट द्वारा इस इन्तकाल की नकल हेतु आवेदन देकर दिनांक 13.9.2024 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी होना कथन किया है जबकि इन्तकाल की नकल भी वाद के संलग्न की हुई है । प्रार्थना पत्र में नित्य प्रतिदिन की डिले का हवाला दिया जाकर ही कण्डोन करवाया जा सकता है प्रार्थना पत्र के साथ जो शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के समर्थन में दिया गया है वह दिनांक 4.10.2024 को यानि अपील पेश करने से काफी पहले ही तस्दीक किया हुआ है जिससे सारा फर्जीवाडा स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है । धारा 5 के दो आवेदन पेश किये गये है, जिनमें नकल आवेदन पेश करने, व नकल प्राप्ति की दिनांक भिन्न भिन्न दर्शा रखी है जिससे अपीलान्ट की बदनियती स्पष्ट दिखती है । कि वह झूंठे कथनों के आधार पर अवधि बाहर अपील को अवधि में लाने का झूंठा प्रयास कर रहा है । इस हालत में प्रस्तुत अपील अवधि मध्य पेश न होने से प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें । वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन एवं मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय 2025(3) Civil court cases 618 (s.c.) Thirunagalingam V/s Lingeswaram & Anr. प्रस्तुत किया है ।

6. हमने उभयपक्ष की मियाद का बिन्दु निर्धारण करने के सम्बन्ध में बहस मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के वसीयत के प्रकरण संख्या 15/2009 निर्णय दिनांक 3.12.2009 की पालना में स्वीकृत इन्तकाल संख्या 620 दिनांक 15.12.2009 की अप्रसन्नता में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के सा दिनांक 6.11.2024 को प्रस्तुत की है जो 14 वर्ष 11 माह विलम्ब से पेश की है । विलम्ब के शमन के धारा 5 के प्रार्थना पत्र में कारण बताया है कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट की गैर मौजूदगी में व अपीलांटगण को बिना सुने, बिना नोटिस दिये पारित किया है, तथा प्रथम जानकारी दिनांक 17.10.2024 को होना बताया है, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने धारा 5 के 02 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है एक में नकल प्राप्ति दिनांक 17.10.2024 और दुसरे में को 13.09.2024 अंकित की है जो विरोधाभाषी है । रेस्पोडेन्ट का तर्क उचित है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में एक वाद दिनांक 4.10.2024 को प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें वाद कारण की तारीख दिनांक 6.5.2024 को होना अंकित किया है, इससे तो यह जाहिर है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 6.5.2024 को हो चुकी थी । फिर भी इस अपील में दिनांक 13.9.2024 व 17.10.2024 को प्रथम जानकारी होने का गलत तथ्य अंकित किये है । प्रस्तुत अपील 14 वर्ष 11 माह बाद पेश की है जबकि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट निकटतम रिश्तेदार है, तथा खातेदार गणपत जी का देहावसान दिनांक 9.12.1997 को होना अपीलांट स्वयं ने अपील में बताया है, तो 9.12.1997 के बाद अपीलांटगण द्वारा गणपत जी के वारिस होने के आधार पर गणपतजी का फोती नामान्तरकरण खुलवाने के लिए तहसील में क्यों नहीं चाराजोही की गई । वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों के सम्बन्ध में हमारा मानना है कि यदि विलम्ब के लिए ठोस कारण व आधार हो प्रकरण में मियाद के शमन के पश्चात गुणावगुण पर विचार किया जा सकता

है किन्तु इस प्रकरण में इस अपील से पूर्व ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अपीलाधीन नामान्तरकरण का वर्णन किया हुआ है । हर केस की अलग प्रकृति होती है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में पूर्णरूप से लागू नहीं होते है । अपीलांट द्वारा मियाद को शमन करने के लिए बताये गये कारण ठोस एवं उचित आधार नहीं है ।

7. परिणामत: प्रस्तुत अपील 14 वर्ष 11 माह विलम्ब से पेश की है जबकि अपीलांट द्वारा वर्णित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद इस अपील से पूर्व ही प्रस्तुत कर रखा है । इतनी लम्बी अवधि को कन्डोन किया जाने के पर्याप्त एवं ठोस आधार नहीं है, यदि इतनी लम्बी अवधि को कन्डोन किया जाता है तो लिमिटेशन के कानून का कोई औचित्य नहीं है । अत: लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है । प्रस्तुत अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है ।

8. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा